भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219 website : bhayandersun.co.in Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 2 * दि. 16 से 30 जून 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 4 * मूल्य : 5 रुपये

महाराष्ट्र में MMR के लिए 22611 करोड़ मंजूर

घोड़बंदर- भायंदर सुरंग, वसई क्रीक एलिवेटेड रोड और नवी मुंबई मेट्रो विस्तार

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने 22,611 करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इसमें घोड़बंदर रोड और भायंदर को जोड़ने वाली सुरंग तथा 'एलिवेटेड कॉरिडोर' के अलावा नवी मुंबई मेट्रो का विस्तार भी शामिल है। इस विस्तार के तहत लाइन-2 के जरिए नवी मुंबई मेट्रो को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ा जाएगा। इन फैसलों को मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में संपर्क व्यवस्था बेहतर बनाने और यातायात जाम कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इन परियोजनाओं को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की अवसंरचना समिति ने मंजूरी दी। कुल व्यय में से 17,036 करोड़ रुपये की परियोजनाएं गायमुख और फाउंटेन होटल के बीच छह लेन वाली सुरंग तथा फाउंटेन होटल से भायंदर तक छह लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर से संबंधित हैं। वहीं, नवी मुंबई मेट्रो लाइन-1ए और लाइन-2 के लिए

5,575 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

वसई क्रीक के समानांतर बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में परिवहन तेज, अधिक सुगम और यात्रियों के अनुकूल होगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, 14 मीटर व्यास वाली सुरंग का निर्माण 'टनल बोरिंग मशीन' (टीबीएम) प्रौद्योगिकी से किया जाएगा। इसके करीब पांच साल में पूरा हो जाने की उम्मीद है। वसई क्रीक के समानांतर बनने वाला 'एलिवेटेड कॉरिडोर' 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से यातायात के आवागमन की सुविधा देगा।

मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नासिक, पनवेल के ट्रैफिक को बड़ी राहत

अधिकारियों ने कहा कि इस परियोजना से घोड़बंदर रोड पर यातायात का बोझ कम होगा और ठाणे एवं गुजरात की ओर जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। इससे पश्चिमी मुंबई और ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नासिक, पनवेल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के बीच संपर्क भी बेहतर होने की उम्मीद है। इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत निर्माण-संचालन-हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर लागू किया जाएगा।

सागर संगम से एयरपोर्ट तक जुड़ेगी नवी मुंबई मेट्रो

समिति ने परियोजना क्षेत्र के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को विशेष योजना प्राधिकरण नियुक्त किए जाने को भी मंजूरी दी। समिति ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत नवी मुंबई मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी। इसके तहत लाइन-1ए सागर संगम और सीबीडी बेलापुर को जोड़ेगी, जबकि लाइन-2 पेणधर को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगी।

इस विस्तार से सागर संगम से हवाई अड्डे तक 28 किलोमीटर लंबा मेट्रो गलियारा तैयार होगा। इसमें 13 नए स्टेशन होंगे, जिनमें दो स्टेशन लाइन-1ए पर और 11 स्टेशन लाइन-2 पर होंगे। बयान में कहा गया कि विस्तारित मेट्रो नेटवर्क से आने वाले वर्षों में रोजाना करीब 12 लाख यात्रियों को सुविधा मिलने की उम्मीद है।

9 साल बाद भी अधूरी सूर्या जलापूर्ति योजना

अब अगस्त 2026 तक जलाशय तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य

भाईंदरः वर्षों से पानी की किल्लत झेल रहे मीरा भाईंदर वासियों के लिए राहत की खबर है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की ओर से कार्यान्वित 403 एमएलडी क्षमता वाली सूर्या क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना के तहत मीरा भाईंदर मनपा को चेने स्थित जलाशय में 218 एमएलडी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

इस पानी का शहरभर में समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए मनपा द्वारा अमृत 2.0 मिशन के अंतर्गत मुख्य जलवाहिनियों के विस्तार, वितरण नेटवर्क सुदृढीकरण और जलाशयों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

तकनीकी कारणों से हुई देरी, हर महीने हो रही समीक्षा : परियोजना के विभिन्न कार्यों में कुछ तकनीकी कारणों से देरी हुई है। लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा कराने और बाधाओं को दूर करने के लिए एमएमआरडीए, एमएसईटीसीएल, संबंधित ठेकेदारों तथा परियोजना प्रबंधन सलाहकारों की संयुक्त समीक्षा बैठक प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे बुधवार को आयोजित की जा रही है।

10 जल टैंक और वितरण नेटवर्क का काम भी अगस्त तक पूरा करने के निर्देश : शहर में पानी वितरण के लिए आवश्यक 10 जल टैंक (करीब 60 से 70 एमएलडी क्षमता) के निर्माण तथा संबंधित जलवाहिनियों और सहायक कार्यों का ठेका मेसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। बैठक में कंपनी को निर्देश दिए गए कि अगस्त 2026 के अंत तक सभी आवश्यक जलवाहिनियां और सहायक निर्माण कार्य पूर्ण किए जाएं, अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि ठेकेदार की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो उसे गंभीरता से लेते हुए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

2017 में हुआ था भूमिपूजन, 34 माह में पूरा करने का था दावा : गौरतलब है कि 10 जुलाई 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीरा रोड पूर्व स्थित एस। के। स्टोन के निकट आयोजित कार्यक्रम में सूयों प्रादेशिक जलापूर्ति योजना का भूमिपूजन किया था। उस समय घोषणा की गई थी कि योजना को 34 महीनों में पूरा कर शहर को 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जाएगा, यौजना के तहत मीरा-भाईंदर शहर को 218 एमएलडी अतिरिक्त जलापूर्ति मिलनी है, लेकिन भूमिपूजन के लगभग 9 वर्ष बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी है।

शहर को प्रतिदिन 190 एमएलडी ही जलापूर्ति : वर्तमान में मीरा-भाईंदर शहर को स्टेम प्राधिकरण से 86 एमएलडी तथा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल (एमआईडी सी) से 125 एमएलडी जलापूर्ति की मंजूरी प्राप्त है। इस प्रकार कुल 211 एमएलडी पानी स्वीकृत है, लेकिन वास्तव में शहर को प्रतिदिन औसतन 185 से 190 एमएलडी जलापूर्ति ही हो पा रही है।

इसी कारण कई क्षेत्रों में अघोषित जलकटौती और पानी की कमी की समस्या लगातार बनी हुई है। मनपा ने आगामी 20 वर्षों की अनुमानित जनसंख्या और जल आवश्यकता का आकलन किया है। इसके अनुसार शहर में पानी की मांग तेजी से बढ़ने वाली है।

शहर में लगेंगे विशेष शिविर : महापौर

आयुष्मान भारत और महात्मा फुले योजना का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचाएं

भाईंदर : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र नागरिकों तक पहुंचाने और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने

के उद्देश्य से शुक्रवार को मीरा- भाईंदर महानगरपालिका में महापौर डिंपल मेहता की अध्यक्षता में संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल, स्थायी समिति सभापति हसमुख गहलोत, सदन नेता रवि व्यास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला समन्वयक डॉ. रवींद्र जगतकर, क्षेत्रीय प्रबंधक डॉ. श्रीकांत पुडकर, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन के विभागाध्यक्ष मंगेश कदम, सहायक राशन वितरण अधिकारी औदुंबर ढोले, राशन वितरण निरीक्षक संदीप दुबे, डॉ. नंदकिशोर लहाने, महानगरपालिका चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंजलि पाटिल तथा आरोग्य मित्र उपस्थित थे।

बड़ी संख्या में लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं

समीक्षा के दौरान महापौर ने महानगरपालिका क्षेत्र में योजनाओं के तहत

शेष पृष्ठ 3 पर...

संपादकीय

निरंकुशता के निशाने

खाड़ी में ईरान की नाकेबंदी की कवायद के दौरान अमेरिकी हमलों में तीन भारतीय नाविकों का मारा जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसको लेकर देश में गम व गुस्सा व्याप्त है। यूं तो कहा जाता रहा है कि भारत अमेरिका का रणनीतिक साझेदार है और क्वॉड जैसे संगठनों में भूमिका निभा रहा है, तो फिर लगातार भारत के हितों पर कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? भले ही अमेरिका ईरान की तेल निर्यात से होने वाली आय रोकने व युद्ध समाप्त करने हेतु समझौते के लिये दबाव बनाने हेतु ये आक्रामक नीति अपना रहा हो। लेकिन जिन देशों का युद्ध से कोई लेना-देना नहीं है, उनके नागरिकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? हाल में भारतीय चालक दल वाले तीन टैंकरों को अमेरिकी सेना द्वारा निशाना बनाया गया है। इसमें से, ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर हुए हमले में भारतीय चालक दल के तीन सदस्य मारे गये हैं। जिससे भारत व अमेरिका के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। वैसे औपचारिक विरोध दर्ज करते हुए भारत ने दिल्ली में एक अमेरिकी राजनयिक को तलब भी किया है। इसके बावजूद भारत के खिलाफ लगातार नकारात्मक रवैया दर्शाने वाले अमेरिका के खिलाफ सख्त स्टैंड लेने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद कि भारत क्वॉड में अमेरिका का साझेदार है। विडंबना यह भी है कि जो सूत्रधार संगठन के जरिये समुद्री आवाजाही को स्वतंत्र बनाने की बात करता है, वही अमेरिका इसमें बाधक बना है। भले ही अमेरिका इन जहाजों के प्रतिबंधित होने की बात कहे, या जहाज भारतीय न हों, लेकिन उनमें चालक दल के सदस्य तो भारतीय थे। इसकी जानकारी स्वाभाविक रूप से अमेरिका के खुफिया तंत्र को जरूर रही होगी। अमेरिका को सार्वजनिक रूप से भारतीय नाविकों के मारे जाने पर खेद जताना चाहिए। निश्चय ही भारत के निकट के समुद्री क्षेत्र में अमेरिका का निरंकुश व्यवहार निंदनीय है। कूटनीतिज्ञ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को इस मुद्दे को सख्ती से अमेरिका के सामने उठाना चाहिए था।

तमाम भारतीयों को इस मामले में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया उदार लगती है। सवाल पूछा जा रहा है कि यदि तीन अमेरिकी नागरिक मारे जाते तो क्या अमेरिका चुप बैठता? कहा जा रहा है कि भारत का कड़ा विरोध सामने न आने के कारण होर्मुज स्ट्रेट के पास पलाऊ के झंडे वाले टैंकर पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय के मारे जाने की घटना की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम चर्चा हुई है। विडंबना है कि अमेरिकी सेना ने एक सप्ताह में भारतीय चालक दल वाले तीन टैंकरों को निशाना बनाया। हालांकि, सोमवार को हुए हवाई हमले के बाद ओमानी अधिकारियों ने 24 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया था। दरअसल, ट्रंप प्रशासन की निरंकुशता के चलते ही अमेरिका रवैया वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। आखिर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में कारोबारी जहाजों को निशाना बनाने का क्या औचित्य है? अमेरिका को यह अधिकार किसने दे दिया कि वह तटस्थ देशों के नागरिकों को निशाना बनाये? क्यों भारतीय नागरिक अमेरिका व ईरान के बीच जारी संघर्ष की कीमत चुकाएं? इस तरह का शक्ति प्रदर्शन संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सीधा उल्लंघन है तथा स्वतंत्र नौवहन के मार्ग में बाधक है। भारतीयों का गुस्सा तब कम हो जाता यदि अमेरिका मरने वाले नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर देता। सही मायने में अमेरिका भारत को अपने कारोबारी हितों के साधन के रूप में तो इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन भारतीय आत्मसम्मान व संप्रभुता का मान नहीं रखता। भारत को बदलती अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप ही अपनी कूटनीति का निर्धारण करना चाहिए। हमें दुनिया को बताना चाहिए कि भारत एक उभरता बाजार ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। दुनिया को संदेश जाना चाहिए कि हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हैं। अब चाहे सामने अमेरिका हो या चीन जैसे कोई अन्य देश। भले ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कई जहाज भारत के स्वामित्व वाले न हों, लेकिन चालक दलों में शामिल भारतीय नागरिकों की सुरक्षा हर कीमत पर की जानी चाहिए।

राष्ट्र निर्माण की अदृश्य आधारशिला का मूल्यांकन

हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने 'शिशुपाल उर्फ शिशराम एवं अन्य बनाम सुरजीत एवं अन्य' मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए भारतीय समाज के समक्ष उपस्थित एक ऐसे प्रश्न को पुनः केंद्र में ला खड़ा किया है, जिस पर लंबे समय से पर्याप्त गंभीरता से विचार नहीं किया गया। न्यायालय ने गृहिणियों को 'राष्ट्र निर्माता' की संज्ञा देते हुए कहा कि उनके द्वारा किया जाने वाला घरेलू श्रम केवल परिवार के संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।

न्यायालय ने निर्देश देते हुए कहा कि 'जब कोई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उच्च न्यायालय अथवा यह न्यायालय किसी ऐसे मामले पर विचार कर रहा हो, जिसमें एक गृहिणी की मृत्यु हुई हो, तब मुआवजे की गणना में गृहिणियों के साथ होने वाली उस अंतर्निहित असमानता को दूर करने के लिए, जो उनकी अनुमानित आय के अत्यंत रूढ़िवादी आकलन के कारण उत्पन्न होती है, 'घरेलू देखभाल की हानि' के अंतर्गत 30,000 रुपये प्रतिमाह की एक समेकित राशि जोड़ी जानी चाहिए।' न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस राशि में प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर संचयी रूप से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।

प्रथम दृष्टया यह निर्णय मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों में क्षतिपूर्ति निर्धारण से संबंधित एक सामान्य न्यायिक आदेश प्रतीत हो सकता है, किन्तु वास्तव में इसका महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह निर्णय केवल 30,000 रुपये प्रतिमाह की राशि निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस दृष्टिकोण में परिवर्तन का प्रतीक है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू श्रम के सामाजिक और आर्थिक मूल्य को स्वीकार किया है। लंबे समय तक भारतीय समाज में घर के भीतर किए जाने वाले कार्यों को प्रेम, कर्तव्य और पारिवारिक दायित्व के रूप में देखा जाता रहा, जबकि उनके आर्थिक महत्व पर अपेक्षित गंभीरता से विचार नहीं किया गया।

निःसंदेह, किसी भी परिवार का सुचारु संचालन केवल आर्थिक आय पर निर्भर नहीं करता। भोजन की व्यवस्था, बच्चों का पालन-पोषण, वृद्धजनों की देखभाल, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का समन्वय, घर का प्रबंधन तथा भावनात्मक संतुलन बनाए रखने जैसे असंख्य कार्य प्रतिदिन किए जाते हैं, जिनके लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं होता। विडंबना यह है कि जिन कार्यों के बिना परिवार की संरचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही कार्य लंबे समय तक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया से बाहर रहे। उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि 'यह विडंबनापूर्ण है कि गृहिणी को परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर आश्रित बताया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि परिवार की पूरी व्यवस्था और सुचारु संचालन काफी हद तक गृहिणी पर ही निर्भर करता है।'

वास्तव में यह टिप्पणी भारतीय समाज में लंबे समय से प्रचलित उस धारणा को चुनौती देती है, जिसके अनुसार आर्थिक आय अर्जित करने वाला व्यक्ति ही परिवार का मुख्य योगदानकर्ता माना जाता है। यदि किसी परिवार की आय उसके आर्थिक आधार को सुदृढ़ करती है, तो घर के भीतर किया जाने वाला श्रम उस आधार को स्थायित्व प्रदान करता है। दोनों में से किसी एक के अभाव में परिवार की संरचना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए घरेलू श्रम को केवल एक पारिवारिक दायित्व मानना उसके वास्तविक महत्व को कम करके आंकना होगा। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी रेखांकित किया कि 'गृहिणियों का योगदान केवल बच्चों के जन्म और पालन-पोषण तक सीमित नहीं है। वे उस मानव पूंजी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिस पर किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति आधारित होती है।' यह निर्विवादित है कि किसी भी समाज का भविष्य केवल उसके उद्योगों, संस्थानों अथवा आर्थिक नीतियों से निर्मित नहीं होता, बल्कि उन मानवीय मूल्यों, संस्कारों और क्षमताओं से भी निर्मित होता है, जिनका विकास परिवार के भीतर होता है।

वर्तमान निर्णय का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति निर्धारण के संबंध में विकसित हो रहे न्यायशास्त्र को भी आगे बढ़ाया है। इस संदर्भ में न्यायालय ने 'नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य' के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें क्षतिपूर्ति निर्धारण के लिए कुछ पारंपरिक मदों, जैसे संपत्ति की हानि, साहचर्य की हानि तथा अंत्येष्टि व्यय को मान्यता प्रदान की गई थी। 'शिशुपाल उर्फ शिशराम एवं अन्य बनाम सुरजीत एवं अन्य' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायिक दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए 'घरेलू देखभाल की हानि' को भी एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्वीकार किया है।

यह परिवर्तन केवल विधिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। किसी गृहिणी की मृत्यु के पश्चात परिवार को केवल भावनात्मक आघात ही नहीं पहुंचता, बल्कि वर्षों से संचालित हो रही देखभाल, मार्गदर्शन, संरक्षण और घरेलू प्रबंधन की वह व्यवस्था भी प्रभावित होती है, जिसका कोई प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता। न्यायालय ने वस्तुतः इसी अदृश्य हानि को पहचानने और उसका न्यायसंगत मूल्यांकन करने का प्रयास किया है।

इस निर्णय का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष वह व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अपनाया है। न्यायालय ने स्वीकार किया कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल संबंधी कार्य का आर्थिक मूल्य भारत की सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 15 से 17 प्रतिशत के समतुल्य आंका गया है। इसके बावजूद यह श्रम न तो औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा माना जाता है और न ही उसे वह सामाजिक तथा आर्थिक मान्यता प्राप्त होती है, जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी है। वस्तुतः यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के उस महत्वपूर्ण योगदान की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जो प्रतिदिन किया तो जाता है, किंतु प्रायः औपचारिक गणनाओं और नीतिगत विमर्श में पर्याप्त स्थान नहीं पाता।

निश्चय ही यह निर्णय उस व्यापक सामाजिक परिवर्तन की ओर भी संकेत करता है, जिसमें पारिवारिक भूमिकाओं को पारंपरिक रूढ़ धारणाओं से परे जाकर समझने की आवश्यकता है। बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में घर तथा परिवार की देखभाल का दायित्व केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रह गया है। आज अनेक परिवारों में पुरुष भी बच्चों के पालन-पोषण, घरेलू प्रबंधन तथा परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के निर्वहन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

ऐसी स्थिति में 'होम मेकर' की अवधारणा को केवल किसी एक लिंग से जोड़कर देखना न तो सामाजिक यथार्थ के अनुरूप है और न ही न्याय के व्यापक सिद्धांतों के। घरेलू श्रम का मूल्य उसके स्वरूप और योगदान में निहित है, न कि उसे करने वाले व्यक्ति के लिंग में। संभवतः यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में 'गृहिणी' के प्रश्न पर विचार करते हुए भी घरेलू देखभाल और पारिवारिक उत्तरदायित्वों के महत्व को अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है।

निस्संदेह किसी गृहिणी के योगदान का पूर्ण मूल्यांकन किसी धनराशि में नहीं किया जा सकता। तथापि यह निर्णय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है कि घर की चारदीवारी के भीतर किया जाने वाला श्रम भी उतना ही सम्मान और मान्यता प्राप्त करे, जितना समाज में दिखाई देने वाला अन्य कोई कार्य। न्यायालय का यह निर्णय केवल क्षतिपूर्ति निर्धारण का एक नया मानदंड नहीं, बल्कि घरेलू श्रम की गरिमा और उसके सामाजिक महत्व की औपचारिक स्वीकृति के रूप में भी स्मरण किया जाएगा।

महंगा होता इलाज

ऐसे वक्त में जब महंगाई के कारण जीवनयापन कठिन हो रहा है, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एन.पी.पी.ए. द्वारा कुछ जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि की इजाजत देना कमजोर वर्गों के लिए 'कंगाली में आटा गीला होना' जैसा है। एन.पी.पी.ए. द्वारा जिन दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की इजाजत दी गई है, उनमें कुछ कैंसर की दवाएं, एंटी-टेटनस सीरम और बच्चों के टीकों की कीमतों में पचास प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। निश्चय ही यह फैसला पब्लिक हेल्थ पॉलिसी से जुड़ी विसंगतियों को दर्शाता है। निस्संदेह, भारत जैसे देश में जरूरी दवाओं को सस्ता रखना बेहद जरूरी है, जहां बहुत से परिवार इलाज का खर्च अपनी जेब से उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर, यह भी जरूरी है कि जीवनरक्षक दवाओं की बाजार में सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बहुत संभव है कि अमेरिका-ईरान युद्ध संकट से बाधित आपूर्ति श्रृंखला के चलते कुछ दवाइयों व टीकों की कीमतों में बढ़ोतरी को तार्किक बताया जाए, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था में अमीर-गरीब की आर्थिक क्षमता को लेकर उठने वाले सवाल न्यायसंगत ही कहे जाएंगे। दरअसल, एन.पी.पी.ए. ने दवाओं की कमी और बढ़ती लागत को कीमत वृद्धि का कारण बताया है। दलील दी गई कि यदि दवा बनाने वाली कंपनियां इनकी उत्पादन लागत नहीं निकाल पाती हैं तो वे खुले बाजार में इन दवाइयों की आपूर्ति बंद कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद गरीब तबके की सीमाओं और आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बहरहाल, इस बाबत दी गई दलीलों के बावजूद एक सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता कि इस देश में करोड़ों लोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। निर्विवाद रूप से कैंसर के इलाज और बच्चों को बीमारियों से बचाने वाली दवाइयों की कीमतों में पचास फीसदी बढ़ोतरी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गहरे आर्थिक संकट में डाल सकती हैं। मरीजों के लिए इलाज के खर्च में दवाओं के अलावा, रोग की जांच, दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़े अस्पतालों तक की यात्रा, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च तथा इस दौरान होने वाली आय की हानि भी शामिल होती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में वृद्धि का अतिरिक्त बोझ उन्हें इलाज और जीवित रहने के बीच कई मुश्किल फैसले लेने को मजबूर कर सकता है। इसका समाधान किफायती होने और उपलब्धता के बीच चयन करने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र विकसित करने में है, जो दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सरकार को सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीद व्यवस्था को पारदर्शी व मजबूत बनाने की जरूरत है। उसे सरकारी अस्पतालों के जरिये बिना किसी बाधा के दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में जरूरी दवाइयों को भी शामिल करना चाहिए, जिससे खास सब्सिडी के जरिये गरीब मरीजों को अचानक कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया जा सके। इसके अलावा, दवाइयों की कीमतों से जुड़ी नीतियों की समय-समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वास्तव में दवाइयों की लागत में कितनी वृद्धि हुई है।

मुंबई के चोर बाजार से चीन तक हो रही तस्करीकबाड़ नहीं, आप बेच रहे हैं 'डेटा बम'!

चल रहा है चोर बाजार से साइबर माफिया तक 'काला खेल'

मुंबई : जिस मोबाइल को आप बेकार समझकर कबाड़ी के हवाले कर देते हैं, वही मोबाइल अब साइबर माफियाओं के लिए करोड़ों का माल बन चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि बंद, टूटे और पूरी तरह डेड मोबाइलों की मेमोरी चिप और रैम कथित तौर पर मुंबई के चोर बाजार से होते हुए विदेशी गिरोहों तक पहुंच रही हैं। आशंका है कि इन्हीं चिप्स से लाखों भारतीयों का संवेदनशील डेटा निकाला जा सकता है।

गली-गली घूमने वाले कबाड़ी कुछ सौ रुपयों या प्लास्टिक के बर्तन देकर पुराने मोबाइल खरीद लेते हैं। इसके बाद यह माल कई हाथों से गुजरते हुए मुंबई के चोर बाजार पहुंचता है। यहां आधी रात के बाद रैम, मदरबोर्ड और मेमोरी चिप्स की बोली लगती है। सूत्रों का दावा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ में सिर्फ लोहे-तांबे की कीमत नहीं, बल्कि उसमें छिपे डेटा की कीमत भी शामिल होती है। एक कारोबारी ने नाम न छपने की बात पर बताया कि 'चीन और हांगकांग से डिमांड आती है।' इस एक जवाब ने पूरे खेल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर भारतीयों के पुराने मोबाइलों का डेटा किसके हाथों में जा रहा है? साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल का स्क्रीन टूट जाना या फोन बंद हो जाना यह साबित नहीं करता कि उसका डेटा खत्म हो गया है। प्रशिक्षित तकनीशियन और आधुनिक उपकरण कई बार डेड डिवाइस से भी डेटा रिकवर कर सकते हैं। यही वजह है कि साइबर गिरोह पुराने मोबाइलों में खास दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

डेटा चोरी का नया रास्ता

सवाल यह है कि क्या ई-कचरे के नाम पर देश से संवेदनशील डिजिटल जानकारी बाहर भेजी जा रही है? क्या लोगों की निजी तस्वीरें, दस्तावेज, बैंकिंग रिकॉर्ड और संपर्क सूची इस अवैध नेटवर्क के निशाने पर हैं? जांच एजेंसियों के लिए यह सिर्फ कबाड़ का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बनता जा रहा है।

५२ से २ हजार रुपए किलो तक रेट

इस कारोबार का अपना 'रेट कार्ड' है। मोबाइल की रैम और मदरबोर्ड का भाव उसकी स्टोरेज क्षमता के अनुसार तय होता है। जितना अधिक स्टोरेज, उतनी अधिक कीमत। यानी आपके फोन में जितनी ज्यादा जानकारी, उतनी ज्यादा उसकी 'मार्केट वैल्यू'।

मीरा-भाईंदर में अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई, आरक्षित भूखंड से हटाए गए दो दशक पुराने निर्माण

भाईंदर पूर्व के आजादनगर स्थित मनपा की आरक्षित भूमि पर बने करीब 2 दशक पुराने दो विवादित अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ सोमवार तड़के व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया।

भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मनपा ने कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए पूरे भूखंड को अतिक्रमण मुक्त करा लिया। मनपा के अतिक्रमण निर्मूलन विभाग के अनुसार आरक्षित भूखंड क्रमांक-122 पर वर्षों से झोपड़ियां, गोदाम और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया था।

बालासाहेब ठाकरे कला दालान के निर्माण के समय भी हुई थी कार्रवाई

इस भूखंड पर बालासाहेब ठाकरे कला दालान के निर्माण के समय भी कारवाई की गई थी। पूर्व में है। पूर्व में चलाए गए अभियान के दौरान भूखंड का एक हिस्सा खाली कराया गया था, लेकिन शेष झोपड़ियों और अन्य अतिक्रमणों के कारण कार्रवाई अधूरी रह गई थी। तीन वर्ष पहले इसी झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग में दो लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने अधिकांश अतिक्रमण हटवा दिए थे।

हालांकि, भूखंड पर स्थित नूरी मस्जिद और ओमकारेश्वर शिव मंदिर को उस समय यथावत रखा गया था। आरक्षित भूमि पर बने इन धार्मिक स्थलों को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद बना हुआ था।

एक पक्ष उनकी मूल स्थिति बनाए रखने की मांग कर रहा था, जबकि प्रशासन आरक्षित भूखंड से सभी अतिक्रमण हटाने के अपने निर्णय पर अडिग था। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई का निर्णय लिया।

सुबह 5 बजे शुरू हुआ अभियान, 10:30 बजे तक पूरा हुआ ऑपरेशन

सोमवार सुबह करीब 5 बजे मनपा के अतिक्रमण विभाग ने भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच अभियान शुरू किया। कार्रवाई से पहले दोनों पक्षों को धार्मिक सामग्री और अन्य सामान हटाने के निर्देश दिए गए थे। अभियान के दौरान कुछ समय के लिए क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा, लेकिन प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित रखा। करीब साढ़े दस बजे तक पूरी कार्रवाई संपन्न कर भूखंड को पूरी तरह खाली करा लिया गया।

राज्य में नकली दवा कंपनियों पर कसेगा शिकंजा, जांच के लिए राज्य सरकार ने बनाई विशेष समिति

राज्य में नकली दवा कंपनियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने उनके उत्पादों की गहन जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति संदिग्ध दवा निर्माण कंपनियों की जांच करेगी और दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश करेगी। इससे प्रदेश में इस तरह की कंपनियों पर शिंकजा कसा जा सकेगा।

ज्ञात हो कि विधान परिषद सदस्य अंबादास दानवे द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान खाद्य व औषधि प्रशासन मंत्री ने इस संबंध में आश्वासन दिया था। उसी के अनुरूप राज्य सरकार ने विशेष जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस पृष्ठभूमि में विभाग ने तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है।

समिति राज्य में कार्यरत संदिग्ध दवा कंपनियों की पहचान कर उनके उत्पादों की जांच करेगी। विशेष रूप से दवाओं में उपयोग किए गए घटकों की वैज्ञानिक तरीके से पड़ताल की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद दोषी कंपनियों और संस्थानों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम

नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन से सीधे जुड़े इस अत्यंत संवेदनशील विषय पर राज्य सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नकली और मिलावटी दवाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञ लंबे समय से कड़े नियंत्रण और प्रभावी निगरानी व्यवस्था की मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस पहल से दवा निर्माण, वितरण और बिक्री प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आएगी।

साथ ही मरीजों तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी। नकली दवाओं के कारण होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों, उपचार में देरी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को कम करने की दिशा में यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।

30 दिनों में सौंपनी होगी रिपोर्ट

सरकार ने गठित समिति को 30 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समिति नकली दवाओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण तंत्र की जांच कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में सख्त नीतियां और नियंत्रण संबंधी उपाय लागू किए जा सकते हैं।

अधिकारियों को उम्मीद है कि समिति की सिफारिशों के बाद दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और नकली दवाओं के कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से औषधि क्षेत्र में जवाबदेही बढ़ेगी और आम नागरिकों का स्वास्थ्य व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत होगा।

शादी के नाम पर 25 से अधिक महिलाओं से करोड़ों की ठगी, ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार हुआ महाराष्ट्र का महाठग

ठाणे : डिजिटल दौर में वैवाहिक विज्ञापनों के जरिए धोखाधड़ी करने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। महाराष्ट्र पुलिस ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में छापेमारी कर एक ऐसे शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो अपनी असली पहचान छिपाकर रह रहा था। आरोपी पर आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर 25 से अधिक बेसहारा, तलाकशुदा और दिव्यांग महिलाओं को अपनी ठगी का शिकार बनाया और उनसे करोड़ों रुपये ऐंठ लिए।

महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने पुलिस के अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी अनुजकुमार चंद्रप्रकाश त्रिवेदी को 24 मई को गिरफ्तार किया गया। वह फर्जी पहचान के तहत ग्रेटर नोएडा में रह रहा था।

फर्जी में नामों को इस्तेमाल कर करता था ठगी

पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी का असली नाम अनुजकुमार चंद्रप्रकाश त्रिवेदी है। वह कानून की नजरों से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान बदलता रहता था। जांच में सामने आया है कि वह अजय अग्रवाल, अजय संतोष सिंह और जयप्रकाश रमेशचंद्र गुप्ता जैसे कई फर्जी नामों का इस्तेमाल कर महिलाओं को जाल में फंसाता था।

एक शिकायत से खुला ठगी का बड़ा नेटवर्क

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा भायंदर में स्थित नयानगर पुलिस स्टेशन में 4 मार्च 2022 को 75 वर्षीय एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी ने अखबार के विवाह विज्ञापन के जरिए उसकी 45 वर्षीय बेटी से संपर्क किया और 1 मार्च 2019 को उससे शादी की।

नया मकान बनाने के नाम पर हड़पे लाखों रुपये

महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपी ने बाद में पीड़िता के परिवार को फ्लैट बेचने के लिए मजबूर किया और नया मकान बनाने का वादा कर कुल 82 लाख रुपये नकद अलग-अलग किश्तों में ले लिए। इसके बाद 22 फरवरी 2022 को आरोपी पीड़िता को एक रिश्तेदार की शादी के बहाने दिल्ली ले गया और वहां रेलवे स्टेशन पर 33 तोला सोना लेकर फरार हो गया। उसने महिला को मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठाकर अपना फोन बंद कर दिया और भाग गया।

ठाणे पुलिस के अनुसार, आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसकी बेटी से कुल 97 लाख रुपये की ठगी की। जांच में सामने आया कि आरोपी ने इसी तरह की ठगी के जरिए 25 से अधिक महिलाओं को निशाना बनाया, जिनमें दिव्यांग, मानसिक रूप से कमजोर, तलाकशुदा और असहाय महिलाएं शामिल थीं। पुलिस ने बताया कि ठगी के पैसों से आरोपी ने 20 लाख रुपये की कार खरीदी थी, जिसे जब्त कर लिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तारी आरोपी अमरावती के एक अन्य मामले में भी वांछित था, जहां उसने 25 लाख रुपये की ठगी की थी। जांच में यह भी पाया गया कि उसके बेटे ने भी इस धोखाधड़ी में मदद की, जिसके चलते उसे सह-आरोपी बनाया गया है।

आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज बरामद

पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, तीन मोबाइल फोन और एक एटीएम कार्ड भी बरामद किया गया है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने पीड़ित महिलाओं और परिवारों से आगे आकर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

आयुष्मान भारत और महात्मा फुले योजना...

पृष्ठ 1 का शेष...

सूचीबद्ध अस्पतालों, उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच की जानकारी ली। बैठक में यह सामने आया कि शहर के कई पात्र नागरिक अब भी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।

बड़ी संख्या में लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं तथा योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और पैनल अस्पतालों की जानकारी का अभाव है।

महापौर ने दिए ये निर्देश

महापौर ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए शहरभर में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों, चिकित्सकों और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से प्रमुख चौराहों, वार्ड कार्यालयों, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों, उद्यानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित करने को कहा।

इन शिविरों में नागरिकों को आयुष्मान कार्ड पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेजों, सूचीबद्ध अस्पतालों और योजनाओं के तहत मिलने वाली उपचार सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि योजना से जुड़े सभी अस्पतालों के बाहर स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए जाएं, ताकि नागरिकों को आवश्यक जानकारी आसानी से मिल सके। महापौर ने कहा कि सभी संबंधित विभाग और संस्थाएं समन्वित रूप से कार्य कर योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

डीसीपी राहुल चव्हाण ने किया हिंदी पाक्षिक 'भायंदर सन' का विमोचन

भायंदर : मीरा रोड स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राहुल चव्हाण के करकमलों द्वारा हिंदी पाक्षिक क्राइम समाचार पत्र 'भायंदर सन' का विमोचन किया गया।

इस अवसर पर 'भायंदर सन' के संपादक एवं प्रकाशक संजय राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में 'आपका शहर' के संपादक ओ.पी. सिंह, पत्रकार संदीप सावंत, 'प्रसिद्ध लेखन' के संपादक शेषमणि यादव तथा पत्रकार अरविंद जोशी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए डीसीपी राहुल चव्हाण ने संजय राय को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाचार पत्र समाज और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है। वहीं ओ.पी. सिंह ने भी 'भायंदर सन' के प्रकाशन की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल युग में नए समाचार पत्र का प्रकाशन साहसिक और सराहनीय कदम है। अखबार के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पत्रकार सुभाष पांडेय के कार्यों की भी उपस्थित जनों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की।

एंटी-नारकोटिक्स सेल की बड़ी कार्रवाई

मीरा रोड में 78.45 लाख रुपये की कोकीन के साथ नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार

भाईंदर/मीरा रोड : एमबीवीवी (मीरा-भायंदर, वसई-विरार) पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स सेल ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मीरा रोड के नया नगर क्षेत्र से एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 261.5 ग्राम कोकीन बरामद की गई है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 78.45 लाख रुपये बताई गई है।

पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक के निर्देशानुसार शहर को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत एंटी-नारकोटिक्स सेल की टीम नया नगर क्षेत्र में विशेष गश्त कर रही थी। इसी दौरान एस.के. स्टोन से मीरा रोड रेलवे स्टेशन होते हुए पूनम सागर जाने वाली सड़क पर स्थित ईशा वाइन शॉप के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पूछताछ के दौरान वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस ने पंचों की उपस्थिति में उसकी तलाशी ली।

तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 261.5 ग्राम वजन का सफेद पाउडर बरामद हुआ। प्राथमिक जांच में यह कोकीन पाई गई। पुलिस के अनुसार आरोपी इस मादक पदार्थ को बिक्री के उद्देश्य से अपने पास रखे हुए था। इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी अफ्रीकी मूल का नाइजीरियाई नागरिक है। वह मूल रूप से नाइजीरिया के एनुगु क्षेत्र का निवासी है और वर्तमान में पालघर जिले के वसई तहसील अंतर्गत नालासोपारा पूर्व के प्रगति नगर क्षेत्र में रह रहा था। पुलिस उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।

एंटी-नारकोटिक्स सेल के एक अधिकारी ने बताया कि जोन-1 क्षेत्र में ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर उसके संपर्कों, ड्रग्स के स्रोत और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों से एमबीवीवी पुलिस कमिश्नरेट ड्रग्स तस्करी और नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई कर रहा है। रेलवे स्टेशन, वाइन शॉप, हाईवे और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि शहर में ड्रग्स तस्करी के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

मीरारोड यौन शोषण मामला

भाजपा पार्षद पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप, सह-आरोपी बनाकर गिरफ्तारी की मांग

ठाणे जिले के मीरा-भाईंदर में सामने आए कथित नाबालिग यौन शोषण मामले ने शहर में आक्रोश पैदा कर दिया है। शिवसेना जिला संगठक निशा नार्वेकर ने पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक को ज्ञापन सौंपकर मुख्य आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा भाजपा पार्षद अनीता पाटिल को मामले में सह-आरोपी बनाकर गिरफ्तार करने की मांग की है।

क्या है मामला?

नार्वेकर ने ज्ञापन के माध्यम से पुलिस को बताया है कि पीड़िता जब नगर पालिका विद्यालय क्रमांक-14 में पांचवीं कक्षा में पढ़ती थी, तब विद्यालय के तत्कालीन वॉचमैन दयाराम चौहान ने कथित रूप से उसे बहला-फुसलाकर यौन शोषण किया। आरोप है कि उसने पीड़िता के आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी बनाए तथा कई वर्षों तक उनका इस्तेमाल कर उसका शोषण करता रहा।

शिवसेना ने आरोप लगाया कि जब पीड़िता दसवीं कक्षा में थी, तब दयाराम चौहान की बहन और भाजपा पार्षद तथा महिला व बालकल्याण समिति सभापति अनीता पाटिल को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद उन्होंने पीड़िता की मदद करने के बजाय उसे चुप रहने की सलाह दी। मुख्य आरोपी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजेश चौहान कथित रूप से पुराने वीडियो के आधार पर पीड़िता को फोन कर धमकाने, रास्ते में रोकने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहा था।

शिवसेना का कहना है कि यदि शुरुआती शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाती, तो पीड़िता को वर्षों तक उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता। इसी आधार पर अनीता पाटिल को अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सह-आरोपी बनाए जाने की मांग की गई है।

शिवसेना ने आंदोलन की दी चेतावनी

शिवसेना ने चेतावनी दी है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी की गई या किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव डाला गया, तो पार्टी जनता के साथ सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक आंदोलन करेगी।

आफ़रीन सैय्यद ने उठाए नैतिकता के सवाल

महिला व बालकल्याण समिति की सभापति अनीता पाटिल के भाई पर लगे गंभीर आरोपों के बाद महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की उपाध्यक्षा व मनपा की विरोधी पक्ष नेता आफ़रीन सैय्यद ने उनसे नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है। पत्रकार परिषद में सैय्यद ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए इस्तीफा जरूरी है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में महापौर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। आफ़रीन ने कहा कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा और कांग्रेस व यूथ कांग्रेस न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी।

30 साल पुरानी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के भविष्य पर सवाल, नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन?

मीरा भाईंदर शहर के सबसे प्रथम प्रवेश द्वार काशीमीरा नाका पर स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की 30 वर्ष पुरानी अश्वारूढ़ प्रतिमा के जीर्ण होने के बाद उसके भविष्य को लेकर शहर में नया विवाद खड़ा हो गया है।

एक ओर प्रशासन सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिमा को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की सिफारिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर 6 मई की आमसभा ने प्रतिमा को हटाने के बजाय उसी स्थान पर मरम्मत करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि यदि मरम्मत के दौरान प्रतिमा को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

बता दें कि नगरपालिका काल में वर्ष 1997 में काशीमीरा नाका पर छत्रपति शिवाजी महाराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा स्थापित की गई थी। प्रतिमा पुरानी होने के कारण उसमें दरार व क्षति दिखाई देने लगी है। इस बीच घोड़बंदर किले की ओर जाने वाले मार्ग के प्रारंभ में छत्रपति शिवाजी महाराज की 30 फीट ऊंची दूसरी अश्वारूढ़ प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद मामला और उलझ गया है।

महापौर डिंपल मेहता को भेजी रिपोर्ट

मनपा प्रशासन ने 13 अप्रैल को महापौर डिंपल मेहता को भेजी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि 28 नवंबर, 2022 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली मूर्ति नीति समिति के दिशानिर्देश के अनुसार एक ही महापुरुष की 2 प्रतिमाएं 2 किलोमीटर के दायरे में नहीं लगाई जा सकतीं।

इसलिए पुरानी प्रतिमा को सम्मानपूर्वक दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हालांकि 6 मई को हुई आमसभा में सत्तारूढ़ भाजपा ने बहुमत के आधार पर प्रतिमा को हटाने के बजाय मौजूदा स्थान पर ही मरम्मत करने का प्रस्ताव पारित कर दिया।

शिव प्रेमियों का कड़ा विरोध

प्रतिमा की स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का शिवप्रेमियों और कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी कड़ा विरोध किया था। विरोध के चलते प्रतिमा को यथास्थान रखते हुए उसकी मरम्मत का निर्णय लिया गया। लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि यदि मरम्मत के दौरान प्रतिमा को गंभीर नुकसान पहुंचा तो शिवप्रेमियों और विपक्षी दलों के बीच विवाद बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक : संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com